फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक - 24.04.2026

कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में नामजद/वांछित 01 अभियुक्त को चोरी गए माल सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर, श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण व नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 112/26 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित 01 अभि0 अरमान खान पुत्र सिकन्दर खान को गिरफ्तार कर अभियुक्त की निशादेही पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी गया माल बरामद कर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अभि0 के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. अरमान खान पुत्र सिकन्दर खान निवासी आजादनगर कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ मूल निवासी नगला बरी थाना बेवर जनपद मैनपुरी।

घटना का विवरण- वादी श्री अरूण कुमार पुत्र सुम्मारी लाल निवासी शिवाजी नगर कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ द्वारा प्रा0 पत्र बाबत् अभियुक्त द्वारा वादी की माता को ननिहाल से गाडी नं0 UP84AA3815 से लाते समय रास्ते में गाडी में रखे बैग से सोने का 01 पैण्डल , 01 चैन व 01 अंगूठी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में दिया था। वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 112/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अरमान पुत्र सिकन्दर निवासी आजाद नगर कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त अरमान उपरोक्त को गिरफ्तार कर उसकी निशादेही पर मुकदमा उपरोक्त में चोरी गया माल बरामद कर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मैं अरूण कुमार उपरोक्त की ओमनी गाडी चलाता हूं। दिनांक 16.04.2026 को अरूण कुमार की माताजी को लेकर उनके मायके रतनपुर थाना जहानगंज शादी में गया था तो वहां पर अरूण की माताजी ने मेरे सामने अपने बैग से निकालकर सोने के गहने पहने थे, तभी मेरी नीयत उनके गहनों पर खराब हो गई थी। दिनांक 17.04.2026 को जब मैं उनको और उनकी बहन व बेटी को लेकर वापस मोहम्मदाबाद आ रहा था तो मैंने बैग को आगे अपने पास ही रख लिया था और जब मोहम्मदाबाद चौराहे के पास अरूण की मां व उनकी बहन व बेटी सामान लेने के लिये उतरी तो मैंने मौका देखकर बैग में रखा अरूण की माताजी का एक पेण्डल, एक चैन व एक अंगूठी निकालकर अपने पास रख ली और उनकी मां को उनके घर पर छोडने के बाद वो सारा सामान मैंने आजाद नगर खेरे पर झाडियों में गढ्ढा कर छिपा दिया था । मैने सोचा था जब समय बीत जायेगा और ये मामला शान्त हो जायेगा तो मै इन्हे निकालकर बेंचकर अपनी जरूरते पूरी कर लूंगा। मुझे कल रात पता चला कि अरुण थाने के चक्कर लगा रहा है और मेरे खिलाफ मुकदमा लिखाने गया तभी मैं आज कही भागने जा रहा था कि आपने मुझे पकड लिया । अपनी गलती की मांफी मांगते हुए शेष सफाई जरिये अधिवक्ता माननीय न्यायालय में देना बताया।

बरामदगी का विवरण-

मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी गया माल 01 पेण्डल, 01 चैन व 01 अंगूठी पीली धातु ।

अभियुक्त अरमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 34/16 धारा 392 आईपीसी कोत0 मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
02. मु0अ0सं0 52/16 धारा 307 आईपीसी कोत0 मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
03. मु0अ0सं0 53/16 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट कोत0 मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
04. मु0अ0सं0 105/16 धारा 3(1) गैंग्सटर एक्ट कोत0 मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
05. मु0अ0सं0 342/16 धारा 307 आईपीसी कोत0 मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

06.मु0अ0सं0 344/16 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट कोत0 मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

07.मु0अ0सं0 346/16 धारा 411 आईपीसी व 41/102 द0प्र0सं0 कोत0 मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़

08.मु0अ0सं0 25/11 धारा 25 आर्म्स एक्ट कोत0 मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

09.मु0अ0सं0 267/2006 धारा 323, 323, 342, 342, 386, 386 आईपीसी कोत0 मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

10.मु0अ0सं0 666/2008 धारा 147, 147, 332, 332, 353, 353, 504, 504 भा0द0वि0 व 7 CLA Act कोत0 मोहम्मदाबाद फतेहगढ़।

11.मु0अ0सं0 742/2004 धारा 307/323/504 IPC कोत0 मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

12.मु0अ0सं0 1184/2009 धारा 21/22 NDPS Act कोत0 मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

13.मु0अ0सं0 112/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस कोत0 मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस टीमः-

01.प्रभारी निरीक्षक श्री मदन मोहन चतुर्वेदी

02.उ0नि0 श्री विनोद कुमार

03.का0 अजय तेवतिया

04.का0 मनीष

05.का0 वीरेन्द्र

मीडिया सेल फतेहगढ़।